UPAL010059882026

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़।

प्रभारी अधिकारी- प्रतिभा सक्सेना

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2776/2026

बाबू उर्फ समीर पुत्र कमालुद्दीन, निवासी- गली नं0 7, पटवारी नगला, थाना क्वार्सी, जिला-अलीगढ़।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....वादी/ विपक्षी

जमानत आदेश

1. प्रस्तुत ज़मानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **बाबू उर्फ समीर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-366/2026 धारा-191(2),191(3),190,109(1),115(2),352,351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/5/25/27 आयुध अधिनियम, थाना क्वार्सी,** जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2026 को समय करीब रात 09.00 बजे वादी मौहम्मद फैजान व उसका भाई समीर अपने दोस्त बिलाल के छोटे भाई अदनान के साथ नगला पटवारी के कब्रिस्तान पर गये थे चूंकि अदनान ने बताया था कि उसके साथ कारखाने में काम करने वाले अयान के साथ कहा सुनी हो गयी है. जब यह लोग अयान के साथ बातचीत कर रहे थे और मामला निपट रहा था तभी अयान के साथी बाबू उर्फ समीर पुत्र कमालुद्दीन, अरमान पुत्र कमालुद्दीन, अर्श पुत्र अनीस, जावेद पुत्र रफीक, फैजान पुत्र यामीन, साहिल पुत्र अकबर, अकील पुत्र अफसर, समीर पुत्र शकील, समीम पुत्र साबुद्दीन ताजुल पुत्र नसीर, तुफैल पुत्र अयूब व चार-पाँच अन्य अज्ञात लोग वहाँ आ गये और गाली-गलौज करने लगे। जब वादी व उसके साथियों ने कहा कि गाली-गलौज क्यों कर रहे हो मामला सुलह गया है तभी अयान के साथी बाबू उर्फ समीर पुत्र कमालुद्दीन ने कहा कि साले तुम्हे अभी पंचायत कराते है। तुमने मेरे साथी अयान के साथ मारपीट की है और यह कहते हुए कि साले आज किसी को जिन्दा नही छोडेंगे सभी ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से बाबू उर्फ समीर ने फायरिंग करते हुए वादी के सिर में तमन्चे की बट मारी तथा अर्श पुत्र अनीस ने जान से मारने की नियत से वादी के भाई समीर के गोली मार दी। गोली वादी के भाई के पेट में लगी है। वादी और उसका भाई समीर वहीं जमीन पर गिर गये और काफी अन्य लोग चिल्लाते हुए भागे तभी यह सब लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इनके अन्य साथियों ने भी फायरिंग की है। वादी व उसके भाई को कुछ लोगों ने जे.एन. मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती कराया। वादी को ईलाज के बाद डॉक्टरों ने छोड़ दिया है तथा वादी के भाई का इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गम्भीर है।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कुरते हुए तुर्क दिया गया है क्रि अभियुक्त निर्दोष है। उसको झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को कथित घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक-01.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तुर्क प्रस्तुत क्रिया गया है क्रि अभियुक्त ने गुल्मीर अपराध कारित क्रिया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त क्रिया जाये।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रस्तुत केस डायरी व प्रपत्रों का अवलोकन क्रिया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 30.04.2026 को समय रात्रि करीब 09:00 बजे वादी मुकदमा और उसका भाई समीर अपने दोस्त बिलाल के छोटे भाई अदनान के साथ कब्रिस्तान पर गये थे तभी अयान के साथ बातचीत करने के दौरान अभियुक्त व अन्य सह-अभियुक्तगण ने मौके पर आकर गाली-गलौच करना शुरू कर दी, मना करने पर सभी ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से बाबू उर्फ समीर में फायरिंग करते हुए वादी के सिर में तमन्चे की बट मारी तथा अर्श पुत्र अनीश ने जाने से मारने की नियत से वादी के भाई समीर के गोली मार दी, गोली वादी के भाई के पेट में लगी और वह वहीं जमीन पर गिर गया। वादी मुकदमा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त चुटैल मौहम्मद समीर, चक्षुदर्शी गवाह समीर करार व मौहम्मद उमैर द्वारा भी बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में घटना का समर्थन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चुटैल समीर को एक चोट "Gunshot 01x01cm of entry wound oval shaped present on the left side of abdomen" आना दर्शित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा ही फायरिंग करते हुए वादी के सर में तमंचे की बट मारी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका होना दर्शित किया गया है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों एवं अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **बाबू उर्फ समीर** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-366/2026 धारा-191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/5/25/27 आयुध अधिनियम, थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़ के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-12.06.2026

प्रभारी अधिकारी
ID No.-UP-6223
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता-ऋषभ सिंह (आशुलिपिक)